



MADHYA PRADESH RAJYA VAN VIKAS NIGAM LIMITED

REGISTERED OFFICE : Panchanan 5th Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462003 (M.P.)

CIN:U02001MP1975SGC001341
Office : 0755-2674204, 2551821
Fax : 0755-2551757
Website : www.mpsfdc.com
E-mail : mprvvn@bsnl.in
: mprvvn@rediffmail.com

वाहन किराये पर लेने के लिए निविदा

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कुण्डम परियोजना मंडल, कार्यालय जबलपुर के कार्यक्षेत्र में तथा आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों के उपयोग के लिए पंजीकृत ट्रैवल्स एजेंसी/वाहन स्वामियों से टेक्सी कोटे में पंजीकृत वर्ष 2015 या उसके बाद के मॉडल के बोलेरो/समकक्ष वाहन 1500 कि०मी० मासिक रनिंग हेतु पी०ओ०एल० एवं चालक सहित/ रहित मासिक आधार पर किराये से लगाने हेतु सीलबंद निविदाएं निर्धारित निविदा प्रपत्र पर आगामी 12 माह के लिये संत्यकार राशि रुपये 10,000/- के बैंक ड्राफ्ट सहित दिनांक 19-09-2016 तक आमंत्रित है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे संबंधित मंडल कार्यालय में खोली जावेंगी। विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र तथा शर्तें, संबंधित संभागीय प्रबंधक कार्यालय से कार्यालयीन दिवस एवं समय में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निगम की वेबसाइट www.mpsfdc.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।


प्रबंध संचालक

निविदा प्रपत्र

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पंचानन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल
किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

1. वाहन मालिक / ट्रेवल एजेंसी का नाम एवं पता

(यदि साझा फर्म है तो पार्टनरशिप डीड संलग्न करें)

2. दूरभाष क्रमांक कार्यालय निवास मोबाईल

3. फर्म का सर्विस टैक्स हेतु केन्द्रीय आबकारी विभाग का पन्द्रह डिजिट का पंजीकरण क्रमांक
..... (प्रतिलिपि संलग्न करें)

4. फर्म का आयकर हेतु पैन नंबर (प्रतिलिपि संलग्न करें)

5. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक
(रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेन्सिव बीमा, रोड टैक्स चुकता प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति लगाये।)

6. मॉडल हेतु प्रस्तावित दर

क्र.	वाहन का प्रकार	मॉडल/वर्ष	विवरण			
			मासिक दर (रु. में) 1500 कि.मी. चालन हेतु (केवल वाहन)	मासिक दर (रु. में) 1500 कि.मी. चालन हेतु (वाहन चालक सहित)	मासिक दर (रु. में) 1500 कि. मी चालन हेतु (वाहन, चालक एवं पीओएल सहित)	1500 कि.मी. से अधिक चालन पर प्रति कि.मी. दर (रु.में)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

7. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में जमा की गई राशि के एफ.डी.आर. का विवरण:-

एफ.डी. आर. क्रमांक दिनांक राशि बैंक का
नाम

8. निविदाकार का घोषणा-पत्र (घोषणा-पत्र पूर्णरूप से भरकर संलग्न किया जावे।)

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

वाहन मालिक/निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम एवं पता

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,
पंचानन भवन, पंचमतल,मालवीय नगर,भोपाल

किराये पर वाहन लिये जाने हेतु शर्तें

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जिसे आगे " निगम " कहा गया है द्वारा निजी वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध की मुख्य शर्तें निम्नानुसार है:-

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन वर्ष 2015 अथवा 2016 के मॉडल का होना चाहिए। वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार कच्चे /पक्के या जंगल के रास्ते पर किया जावेगा।
2. किराये पर लिये जाने वाले प्रत्येक वाहन हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) बैंक के एफ.डी. आर. के रूप में जो प्रबन्ध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमि. नाम से देय हो, अरनेस्ट मनी के रूप में संबंधित कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है।
3. (i) निगम द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना होगी। यदि निविदाकार अनुबन्ध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी की राशि निगम के पक्ष में राजसात की जावेगी।
(ii) अनुबन्ध अवधि में यदि निविदाकार वाहन उपलब्ध नहीं कराता है और यदि निगम द्वारा अन्य स्त्रोत से वाहन किराये पर लेता है तो अन्तर की राशि निविदाकार के अरनेस्ट मनी से वसूली योग्य होगी।
4. वाहन का मायलोमीटर हमेशा चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।
5. मासिक किराये का वाहन 24 घंटे निगम की सेवा में रहेगा। वाहन की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व निगम का होगा। वाहन मालिक /ड्रायवर को वाहन निगम के संबंधित अधिकारी के निवासपर ही रखना होगा। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन निगम के अधिकारी/वाहन चालक द्वारा आवश्यकतानुसार चलाई जावेगी।
6. वाहन किराये पर लेने के पश्चात् वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या मौत के लिए निगम जिम्मेदार नहीं रहेगा।
7. वाहन में किसी भी प्रकार का व्यय, टूट फूट, मरम्मत व्यय, पंचर, टोल टैक्स, पार्किंग आदि का व्यय वाहन मालिक को देना होगा।
8. वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, रोड टैक्स आदि शासकीय कर संबंधित तथा अन्य संबंधित कागजात आदि के विवरण की छाया प्रति अभिप्रमाणित कर अनिवार्य रूप से संलग्न प्रस्तुत करना होगा तथा मूल कागजात निगम कार्यालय से सत्यापित करवाने होंगे। मूल दस्तावेज हर समय वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा।
9. जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण चालन में नहीं होगा, उस दिन का किराया देय योग्य नहीं होगा। वाहन की खराबी की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में निगम यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अन्तर की राशि वाहन स्वामी से वसूल होगी।
10. वाहन संबंधित कार्यालय के नियंत्रण में तथा उनके कार्यों के आवश्यकतानुसार अधीन रहेगी एवं वाहन के संपूर्ण आवागमन का सत्यापन आदि भी संबंधित कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
11. वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित दरों पर वाहन मालिक के बिल के सत्यापन के पश्चात् किया जावेगा। प्रत्येक बिल से 5% राशि सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में निगम कार्यालय के पास जमा रहेगी जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात् लौटाया जावेगा।

